फर्द अहकाम

बलबीरसिंह बनाम मोहनीदेवी

...लय

...या 174/2009 वाद

...संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20/6/19	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थागित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 22/7/19 को पेश हो।	
	22/7/19	वकील वादी उप० बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली वास्ते अवलोकन व आदेश दिनांक 31/7/19 को पेश हो।	
	31/7/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय व डिक्री अलग से लिखायी जाकर शामिल मि० की गई। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर चौमूँ (जयपुर)	

न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूं, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–174 / 2009

उनवान

बलबीरसिंह जाखड दत्तक पुत्र स्व0 श्री मुंगाराम जाखड जाति जाट निवासी ग्राम ईटावा भोपजी तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. मोहनी देवी धर्मपत्नि रामेश्वर जाट जाति जाट निवासी ग्राम जैतपुरा तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. श्रीमती कजोडी देवी पत्नि मांगीलाल जाति जाट निवासी ग्राम ईटावा भोपजी तहसील चौमूं, जिला जयपुर
3. मु. बीजी देवी बेवा स्व. मुंगाराम
4. सन्तोष
5. मंजू
6. विमला
7. कमला
8. गुलाब
9. गुड्डी
10. बबीता
11. सुमन
12. सुशीला
13. पुष्पा

पुत्रिया स्व. मुंगाराम

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम ईटावा भापजी तहसील चौमूं जिला जयपुर।

14. विजयलाल पुत्र छोटेलाल
15. मोहनी देवी पत्नि विजयपाल
16. भगवान सहाय पुत्र छोटेलाल कुमावत

समस्त जाति जाट निवासी ईटावा भोपजी तहसील चौमूं जिला जयपुर

17. श्रीमान् उपपंजियक महोदय, उपपंजियक कार्यालय, चौमूं
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
19. शाखा प्रबन्धक, ओ.बी.सी. बैंक, शाखा चौमूं तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्थी व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक :–31.07.2019

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि भूमि खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1077 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 1104 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 1105 रकबा 0.86 हैक्टर, खसरा नम्बर 1106 रकबा 0.32 हैक्टर कुल किता 5 का कुल रकबा 2.01 हैक्टर भूमि वाके ग्राम ईटावा भोपजी तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि विवादग्रस्त भूमि है।

वादी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 13 का सजरा खानदान निम्न प्रकार से है।

सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

स्व. मुंगा(फौत)

बलवीर सिंह	बीजी देवी	सुशीला	पुष्पा	सन्तोष	मंजु	विमला	कमला	गुलाब	गुड्डी	बबीता	सुमन
दत्तक पुत्र	पत्नि	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री

भूमि विवादग्रस्त वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 के पूर्वज स्व. मूंगाराम की पुश्तैनी खातेदारी भूमि रही है जिसमें वादी का स्व. मुंगा के 3/8 हिस्सा का 1/12 भाग निहित रहा है, परन्तु वादी भूमि विवादग्रस्त सम्पूर्ण रुप से स्व. मुंगा के हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा नही रहा है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 जोकि वादी की बहिने है, जिन्हौने अपने हिस्से को वादी के हक में मौखिक रुप से त्याग कर दिया था, तथा वे अपने अपने ससुराल में कुशलतापूर्वक निवास करती चली आ रही है।

वादी के दत्तक पिता स्व. मुंगा की मृत्यू के पश्चात प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 ने राजस्व कानकुनान से मिलीभगत कर बराय बदनियति वादी को स्व. मुंगा का दत्तक पुत्र होना जानते हुये भी नामान्तकरण संख्या 668 दिनांक 05.08.2006 को अपने अकेले के नाम गलत रुप से खुलवाते हुये राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर लिया, जबकि वादी का उक्त भूमि विवादग्रस्त सम्पूर्ण पर उसके पिता के समय से ही कब्जा काश्त चला आता आ रहा है और कानूनन भी स्व. मुंगा का दत्तक पुत्र होने की वजह से वादी का भी उक्त भूमि में स्व. मुंगा के हिस्सा 3/8 भाग में हिस्सा 1/12 भाग निहित रहा है। इसी कारण वादी उक्त सम्पूर्ण विवादग्रस्त भूमि में स्व. मुंगा से प्राप्त विरासत के हिस्से पर काबिज होकर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है एवं भूमि विवादग्रस्त का सरकारी लगान साल दर साल अदा करता चला आ रहा है।

वादी को प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 के नाम गलत रुप से स्व. मुंगा की विरासत का फौती नामान्तकरण उनके नाम होने व वादी का नाम बतौर दत्तक पुत्र दर्ज नही होने की जानकारी होने पर वादी ने अपनी बहिनों व माता से उक्त खातेदारी को दुरुस्त करवाने हेतु कहां तो प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 ने वादी को आश्वासन दिया कि हम शिघ्र ही तुम्हारे हक में त्याग पत्र तसदीक करवा देंगे, तुम अकेले विवादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते रहो। वादी प्रतिवादी संख्या 13 ता 13 की बातों के विश्वास में रहा और उक्त भूमि विवादग्रस्त पर काबिज काश्त करता रहा।

जमीनों की कीमते बढ जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 के मन में फितूर आ गया और उन्होने अपने नाम गलत दर्ज खातेदारी का फायदा उठाते हुयें भूमि विवादग्रस्त में निहित वादी को उसके हिस्सा 1/12 से महरुम कर देने की गरज से प्रतिवादी संख्या 1 से मिलीभगत कर बिना कब्जे व बिना प्रतिफल के भूमि विवादग्रस्त सम्पूर्ण में निहित स्व. मुंगा के हिस्सा सम्पूर्ण को वादी के हिस्से सहित जरिये एक नुमाईशी रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.

सहायक कलक्टर
(जयपुर)

Scanned by CamScanner

02.2009 को बैचान कर दी। जिसका पंजीयन उपपंजीयन चौमूं के यहां दिनांक 22.01.2009 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 281 में पृष्ठ संख्या 44 क्रम संख्या 2009000387 तथा अतिरिक्त पुसतक संख्या 1 जिल्द संख्या 903 के पृष्ठ संख्या 194 से 201 पर पंजीबद्ध करवा दिया। प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में करवाया गया विक्रय पत्र वादी के अधिकारों के प्रति प्रारम्भ से शुन्य है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 को शुरु से ही विदित रहा है कि वादी स्व. मुंगा का दत्तक पुत्र रहा है व दत्तक पुत्र है व मोके पर एक मात्र रुप से काबिज है।

प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 ने अपनी पूर्व में की गई स्वीकारोंक्ति के आधार पर वादी जो प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 का दत्तक भ्राता है, के हक में एक रजिस्ट्रर्ड बक्सीसनामा उपपंजीयक चौमूं के यहां दिनांक 06.02.2009 को तस्दीक करवा दिया, जिसके आधार पर खातेदारी दिनांक 09.04.2009 को वादी के नाम से खोल दी गई।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक में हुये नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर बिना कब्जा व बिना प्रतिफल के ही अपने द्वारा मात्र कागजो में खरीदी गई भूमि को मौके पर कब्जा नहीं होने के आधार पर एक दूसरा नुमाईशी विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 2 के हक में बिना कब्जे व बिना प्रतिफल के दिनांक 13.07.2009 को तसदीक करवा दिया। जिसके पंजीयन उपपंजीयन चौमूं के यहां दिनांक 13.07.2009 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 292 में पृष्ठ संख्या 119 कम संख्या 2009002662 तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 949 के पृष्ठ संख्या 69 से 75 पर पंजीबद्ध हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में तसदीक करवाया गया नुमाईशी विक्रय पत्र भी वादी के अधिकारों के प्रति शुरु से शुन्य व बैअसर हैं।

स्व. मुंगा की सम्पत्ति में वादी का 1/12 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 का क्रमशः 1/12, 1/12 हिस्सा रहा है, प्रतिवादी संख्या 12 व 13 ने अपने हिस्से को वादी के हक में त्याग कर दिया, इस प्रकार वादी का स्व. मुंगा के 3/8 हिस्से में 3/12 हिस्सा निहित हैं, व प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 का संयुक्त रुप से 9/12 अर्थात् 3/4 हिस्सा रहा है, प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 को ज्यादा से ज्यादा 9/12 हिस्से का ही विक्रय पत्र तसदीक करवाने का अधिकार रहा है, प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 द्वारा प्रतिावादी संख्या 3 ता 11 को ज्यादा से ज्यादा 9/12 हिस्से का ही विक्रय पत्र तसदीक करवाने का अधिकार रहा है, प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में 9/12 हिस्से बाबत करवाया गया विक्रय पत्र अधिकारिता क्षैत्र से परे जाकर करवाया गया विक्रय पत्र है, जो वादी के विरुद्ध शुन्य व निष्प्रभावी व बैअसर है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में अधिकारिता विहित हुये विक्रय पत्र के आधार पर हुये विक्रय पत्र शुरु से ही शुन्य होने से क्लेदम बैअसर है।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

दिनांक 16.07.2009 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बसाज प्रतिवादी संख्या 3 ता 12 ... य होकर भूमि विवादग्रस्त पर आये और नुमाईशी विक्रय पत्र दिखाते हुयें ऐलानिया धमकी देने लगे कि हमने उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 3 ता 12 से विक्रय पत्र करवा कर प्रतिवादी संख्या 2 के हक में विक्रय पत्र तसदीक करवा लिया है, अब तुम जमीन खाली करदो, नही तो लाठी के बल पर खाली करवा लेंगे। इस पर वादी ने दिनांक 17.07.2009 को उपपंजीयक चौमूं के यहां से विक्रय पत्र की सत्य प्रति लेने हेतु आवेदन किया, जिसकी नकल दिनांक 27.07.2009 को मिली। तब वादी को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई। इस कारण वादी को उक्त वाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी आया है।

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादी बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर भूमि विवादग्रस्त में 1/4 हिस्से का स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे व विक्रय पत्र दिनांक 22.01.2009 व दिनांक 13.07.2009 को वादी के विरूद्ध प्रारम्भ से ही शुन्य होने से क्लेदम, बैअसर घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द करवा देवे कि वे वादी के कब्जेकाश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाली नहीं करे, ना ही भूमि विवादग्रस्त का बैचान, हस्तान्तरण करे, ना ही वादी को बेदखल करे, न ही वहाँ कब्जा करे, ना ही नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर अपने हक में नामान्तकरण नहीं खुलवाये, ना ही प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत किसी भी विक्रय पत्र, विलेख पत्र आदि पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 17 तस्दीक करे, ना ही प्रतिवादी संख्या 18 राजस्व रिकार्ड में तब्दीली करें, ना ही नामान्तकरण खोले, ना ही प्रतिवादीगण उक्त कृत्य स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवाये।

न्यायालय श्रीमान् द्वारा प्रतिवादीगण को उपरोक्तानुसार पाबन्द नहीं किया गया तो प्रतिवादीगण वादी को मौके से बेदखल कर देंगे व वादी अपने जाजय कानूनी अधिकारों से महरुम हो जायेगा, जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रुपयों में किया जाना कतई सम्भव नहीं होगी एवं इससे बाद बहूल्यता भी बढेगी।

प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 11 की ओर से जवाब वाद पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत है कि वादी मिन जवाबदाता प्रतिवादी संख्या 3 के पति एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 के पिता स्व0 मूंगाराम का वारिस नहीं है बल्कि वास्तविकता में वादी के पिता का नाम जगदीश है वादी द्वारा उक्त तथ्य मिन जवाबदाता प्रतिवादी की सम्पत्तियों को हडप करने की गरज से अंकित किये है। स्व0 श्री मूंगा का सजरा खानदान गलत रुप से वर्णित किया गया है जिसमें बलबीरसिंह वादी द्वारा अपने आपको स्व0 मूंगा का दत्तक पुत्र गलत एवं विधि विरुद्ध रुप से वर्णित किया गया है जबकि वास्तविकता में बलबीरसिंह स्व0 मूंगा जो कि मिन जवाबदाता प्रतिवादीया के पति है का दत्तक पुत्र नहीं है ना ही स्व0 मूंगा एवं मिन जवाबदाता प्रतिवादीया

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

बीजी देवी	सुशीला	पुष्पा	सन्तोष	मंजु	विमला	कमला	गुलाब	गुड्डी	बबीता	सुमन
पत्नि	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री

वाद पत्र में वर्णित विवादग्रस्त आराजियात में वादी का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध अथवा सरोकार नहीं है ना ही वादी का विवादग्रस्त आराजीयात में स्व0 मूंगा के निहित 3/8 से कोई सम्बन्ध अथवा सरोकार ही रहा है। ना ही वादी का विवादग्रस्त आराजीयात पर या उससे किसी भी भूभाग पर कभी कोई कब्जा ही रहा है। वास्तविकता में विवादग्रस्त आराजीयात में पूर्व में स्व0 मूंगा द्वारा अपने निहित हिस्से पर काबिज होकर के हर प्रकार से उसका उपयोग उपभोग किया जाता रहा जिसके साथ मिनजवाबदाता प्रतिवादीया जो कि मूंगा की पत्नि है तथा प्रतिवादीया संख्या 4 ता 13 जो कि स्व0 मूंगा की पुत्रीया है काबिज होकर काश्त करती रही। स्व0 मूंगा की मृत्यु पश्चात स्व0 मूंगा की वास्तविक विधिक वारिसान मिनजवाबदाता प्रतिवादीया तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 विवादित आरातियात में निहित मुंगा के हक हिस्से पर काबिज काश्त होकर उसका हर प्रकार से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी कर रहे है। ना ता प्रतिवादीया संख्या 4 ता 13 वादी की बहिने है ना ही उनके द्वारा कभी विवादित आराजीयात में निहित अपने हक हिस्से को वादी के हक में मौखिक रुप से या अन्य किसी भी प्रकार से त्यागा ही गया है वर्तमान में विवादित आराजीयात पर मिन जवाबदाता प्रतिवादीया तथा प्रतिवादीया संख्या 4 ता 11 काबिज काश्त है तथा प्रतिवादी संख्या 12 व 13 विवाह के पश्चात से ही अपना वैवाहिक जीवन यापन करते हुए अपने पतियों के साथ निवास कर रही है। ना तो वादी स्व0 मूंगा का दत्तक पुत्र ही है ना ही स्व0 मूंगा का दत्तक पिता ही है ना ही स्व0 मूंगा की मृत्यु पश्चात मिनजवाबदाता प्रतिवादीया तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर नामान्तकरण संख्या 668 दिनांक 05.08.2006 को खुलवाया गया है बल्कि वास्तविकता में स्व0 मूंगा की मृत्यु पश्चात राजस्व कर्मचारियो ने सम्पूर्ण जांच पडताल करने के पश्चात विधि अनुकूल प्रक्रिया अपनाकर मिन जवाबदाता प्रतिवादीया तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 के पक्ष में मौका एवं राजस्व अनुरुप नामान्तकरण तसदीक किया है जबकि वास्तविकता में वादी का ना तो विवादित आराजीयात में कोई हक हिस्सा ही स्व0 मूंगा के 3/18 हिस्से में निहित है ना ही उसका विवादग्रस्त आराजीयात पर या उसके किसी अन्श पर वास्तविकता में कोई कब्जा है ना ही उसके द्वारा विवादित आराजीयात का कभी कोई उपयोग उपभोग किया गया है ना ही सरकारी लगान ही अदा किया गया है उक्त सम्पूर्ण तथ्य वादी द्वारा मिथ्या रुप से केवल मात्र वाद पत्र प्रस्तुत करने की गरज से अंकित किये गये है।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

स्व0 मूंगा की मृत्यु पश्चात मिन जवाबदाता प्रतिवादीया तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 के पक्ष में तसदीक किये गये फौती नामान्तकरण की जानकारी वादी को प्रारम्भ से ही रही है। मिन जवाबदाता प्रतिवादीया तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 द्वारा वादी को कभी भी कोई आश्वासन उसके पक्ष में त्याग पत्र तसदीक करवाने बाबत् या अन्य प्रकार से नही किया गया ना ही उसका विवादित आराजीयात पर कोई कब्जा ही है।

स्व0 मूंगा की मृत्यु पश्चात उसके विधिक वारिसान अर्थात मिन जवाबदाता प्रतिवादीया एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 11 तथा अन्य विधिक वारिसानों को अपने अपने हिस्से की सम्पति का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का हक अधिकार प्राप्त है। मिन जवाबदाता प्रतिवादीया तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 11 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 मोहिनी देवी के हक में सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर दिनांक 05.02.2009 को बेचान किया गया तथा दिनांक 22.01.2009 को उक्त मद में वर्णितानुसार विधि अनुरुप प्रक्रिया के तहत ही विक्रय पत्र तसदीक करवाया गया।

प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 द्वारा निष्पादित किसी भी प्रकार के बक्शीशनामें की जानकारी उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व मिन जवाबदाता प्रतिवादीया को नही थी यदि ऐसा बक्शीशनामा प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 द्वारा वादी के हक में निष्पादित किया गया है तो वह मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने के कारण प्रभावहीन है तथा निरस्तनीय है ना ही उक्त बक्शीशनामें से मिन जवाबदाता प्रतिवादीया बाध्य है यदि उक्त बक्शीशनामें में प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 द्वारा वादी को दत्तक भ्राता बताया गया है तो वह भी विधि विरुद्ध है जिसका कोई विधिक महत्व नही है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती कजोडी देवी के हक में दिनांक 13.07.2009 को तसदीक करवाया गया विक्रय पत्र पूर्णतया विधि अनुरुप है जो कि पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर तसदीक करवाया गया है तथा जिसे तसदीक करवाने का प्रतिवादी संख्या 1 को पूर्ण हक अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 मोहिनी देवी जिसके द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के मिन जवाबदाता प्रतिवादीया तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 11 का हक हिस्सा क्रय किया गया था का विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण तसदीक होने के पश्चात ही सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर अपने हिस्से की भूमि विक्रय पत्र अनुरुप प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय की गई जिस पर वर्तमान में विक्रय पत्र अनुरुप प्रतिवादी संख्या 2 काबिज काश्त है तथा विवादित आराजीयात की खातेदार है जोकि विवादित आराजीयात की सदभावी क्रेत्री है जिसे अपने हिस्से की भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का हक अधिकार प्राप्त है उक्त विक्रय पत्र किसी प्रकास से प्रभावशून्य व बेहसर नही है।

दिनांक 16.07.2009 को या अन्य कभी भी किसी भी दिन मिनजवाबदाता प्रतिवादीया तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 11 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ उक्त मद में वर्णितानुसार संगठित होकर नहीं आये ना ही किसी प्रकार की कोई ऐलानिया धमकी ही दी है उक्त सम्पूर्ण

सहायक कलक्टर
(जयपुर)

Scanned by CamScanner

तथ्य वादी द्वारा केवल मात्र वाद पत्र प्रस्तुत करने की गरज से मिनजवाबदाता प्रतिवादीया एवं प्रतिवादीया संख्या 4 ता 11 को हैरान परेशान करने तथा मिथ्या आधारो पर स्व0 मूंगा का दत्तक पुत्र होना वर्णित कर मिनजवाबदाता प्रतिवादीया तथा प्रतिवादीया संख्या 4 ता 11 की सम्पतियों को हडप करने के लिए गठित किया गया है जबकि वास्तविकता में वादी को मिनजवाबदाता प्रतिवादीया तथा स्व0 मूंगा के विधिक वारिसान के पक्ष में तसदीक किये गये फौती नामान्तकरण तथा मिनजवाबदाता प्रतिवादीया व प्रतिवादी संख्या 4 ता 11 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में तसदीक करवाये गये विक्रय पत्र तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में तसदीक करवाये गये विक्रय पत्र की पारम्भ से ही जानकारी रही है।

वादी द्वारा सदैव ही मिन जवाबदाता प्रतिवादीया को नाजायज ही परेशान किया जाता है जिस बाबत कारण वादी दिनांक 09.08.2009 को सांयकाल लगभग 7.00 बजे अपने वास्तविक पिता जगदीश एवं अन्य भाई बहिनों एवं परिवारजन सहित संगठित होकर वादी के कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 88, 87, 86 एवं 85 जो कि ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है पर आया तथा आराजी खसरा नम्बर 1087 में गै0मु0 आबादी में बने वादी के स्वामित्व के मकान पर कब्जा करने का प्रयत्न करने लगा जिसका विरोध मिन जवाबदाता प्रतिवादीया द्वारा किये जाने पर वादी एवं उसके परिवारजन द्वारा मिनजवाबदाता प्रतिवादीया से अश्लील हरकते की गई तथा मिनजवाबदाता प्रतिवादीया की दोहिती निलम से भी मारपीट की जिस बाबत मिनजवाबदाता प्रतिवादीया द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 176/2009 पुलिस थाना सामोद में दर्ज करवायी जो वर्तमान में अन्वेषणाधीन है इस प्रकार वादी द्वारा एवं वास्तविक पिता एवं अन्य परिवारजन द्वारा मिनजवाबदाता प्रतिवादीया को उसकी सम्पति हडप करने की गरज से हैरान परेशान किया जाता रहा है तथा वादी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नही आया है जिस कारण वादी का वाद पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि स्व0 मुंगा की मृत्यु पश्चात उसके विधिक वारिसान अर्थात उसकी पत्नि प्रतिवादी संख्या 3 एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 11 तथा अन्य विधिक वारिसानो को अपने अपने हिस्से की सम्पति का हर प्रकार से उपयोग, उपभोग करने का हक अधिकार प्राप्त है मिन जवाबदाता ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 को अदा कर दिनांक 05.02.2009 को उक्त भूमि क्रय की थी तथा दिनांक 22.01.2009 को विधि अनुरुप प्रक्रिया के तहत ही विक्रय पत्र तसदीक करवाया गया। मिनजवाबदाता प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमति कजोडी देवी के हक में दिनांक 13.07.2009 को तसदीक करवाया गया विक्रय पत्र पूर्णतया विधि अनुरुप है जो कि पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर तसदीक करवाया गया है तथा जिसे तसदीक करवाने का प्रतिवादी संख्या 1 को पूर्ण हक अधिकार प्राप्त है जवाब दाता/प्रतिवादी संख्या 1 मोहिनी देवी

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

जिसके द्वारा जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के प्रतिवादी संख्या 3 तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 11 से एक हिस्सा क्रय किया गया था का विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तर तसदीक होने के पश्चात ही सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर अपने हिस्से की भूमि विक्रय पत्र अनुरुप प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय की गई जिस पर वर्तमान में विक्रय पत्र अनुरुप प्रतिवादी संख्या 2 काबिज काश्त है तथा विवादीत आराजीयात की खातेदार है जो कि विवादीत आराजीयात की सदभावी क्रेत्री है जिसे अपने हिस्से की भूमि का हर प्रकार से उपयोग, उपभोग करने का हक अधिकार प्राप्त है। वादी का विवादीत आराजीयात के किसी भी अंश पर कोई कब्जा नहीं है जिस कारण कब्जे के अभाव में वादी का वाद पत्र निरस्त किये जाने योग्य है जबकि वास्तविकता में अप्रार्थी संख्या 2 विवादित आराजीयात में निहित अपने हिस्से पर काबिज काश्त खातेदार है जिसका की उसको हर प्रकार से उपयोग उपभोग का अधिकार प्राप्त है तथा वादी का वाद पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। वादी द्वारा ना ता नामान्तकरण संख्या 668 दिनांक 05.08.2006 जो कि विवादित आराजियात बाबत् स्व0 मूंगा के विधिक वारिसान के नाम तसदीक किया गया की कोई सक्षम न्यायालय में अपील नहीं की है। ना ही अपने उक्त वाद पत्र में उक्त नामान्तकरण बाबत् अनुतोष ही चाहा है ना ही वादी द्वारा स्वयं को सक्षम न्यायालय से स्व0 मूंगा का दत्तक पुत्र होने की घोषणा ही करवायी गई है। एक ओर तो वादी उक्त नामान्तकरण संख्या 668 दिनांक 05.08.2006 को विधिक विरुद्ध वर्णित कर रहा है जबकि स्वयं ही स्व0 मूंगा के विधिक प्रतिवादी संख्या 12 व 13 से मिली भगत कर विधि विरुद्ध रुप से बक्शीशनामा दिनांक 06.02.2009 को तसदीक किया जाना वर्णित करता है जिस कारण भी वादी की मंशा साफ जाहिर है तथा वादी का वाद पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

वादी द्वारा जवाब दावा बाबत जवाब उल जवाब पेश कर निवेदन किया कि स्व0 मुंगा ने अपने जीवनकाल में उसके जायन्दा पुत्र सन्तान नही होने के कारण वादी को उसके बाल्यकाल में ही गोद ले लिया था, तब से वादी स्व. मुंगा के पास रहा है, उसकी शिक्षा, दिक्षा स्व. मुंगा ने ही की है, वादी के स्कूली रिकार्ड में भी पिता के नाम के स्थान पर उसके दत्तक पिता स्व. मांगु का ही नाम दर्ज है, तथा स्व. मुंगा की फौतगी पर समाज के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष पगडी की रस्म वादी के ही हुई है तथा उसका चाल चलावा, क्रियाक्रम आदि वादी ने ही किये है, तथा वादी की बहिनों प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 ने वादी को हमेशा भ्राता ही माना है, परन्तु वर्तमान युग में जमीनों की कीमते बढ जाने के कारण मन में बेईमानी आ जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने वादी को उसके हक हिस्से से महरुम कर देने की गरज से वादी का सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा होने के बावजूद भूमि विवादग्रस्त को बिना प्रतिफल, बिना कब्जे के प्रतिवादी संख्या 1 के हक में विक्रय पत्र करवा दिया, प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा कब्जा प्राप्त करने में विफल होने के कारण भूमि विवादग्रस्त को आगे प्रतिवादी संख्या 2 को बिना कब्जा व बिना प्रतिफल के बैचान कर विक्रय पत्र करवाया है, जो शुरु से ही वादी के हक अधिकारों के प्रति प्रभाव शुन्य है, तथा प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 ने जो बक्शीशनामा

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

वादी के हक में करवाया है, वह विधिसम्मत तरीके से करवाया है। भूमि विवादग्रस्त के सम्पूर्ण हिस्से पर वादी को ही एक मात्र मालिकाना हक अधिकार, एवं कब्जा है, जिसमें वादी ने अपनी फसले कर रखी है, प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 का विवाह हो जाने के कारण वे स्व. मुंगा के जीवनकाल से ही अपने हिस्से की भूमि को वादी के हक मे मौखिक रुप से त्याग कर अपने अपने ससुराल में राजीखुशी से निवास कर रही है, प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 का कभी भी भूमि विवादग्रसत पर कब्जा नही रहा है, न ही है। दिनांक 09.08.2009 को कोई घटना नही हुई, क्योंकि जब भूमि विवादग्रस्त पर स्वयं वादी काबिज है, तो इस प्रकार की घटना होने का प्रश्न ही नही उठता है तथा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज बताई गई है, वह रिपोर्ट प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दबाव डाल कर भूमि विवादग्रस्त पर कब्जा करने की नियत से वादी को हैरान व परेशान करने की गरज से करवाई है, जो कि झुठी घटना पर आधारित है। वादी सही तथ्यों एवं आधारों से न्यायालय के समक्ष आया है। जब प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 जोकि वादी की बहिने है, ने वादी को हमेशा ही विश्वास दिया कि हम तुम्हारे हक में त्या गपत्र करवा देंगे, तो वादी को उक्त नामान्तकरण की अपील करने की आवश्यकता ही नही रही, तथा उनके मन में बेईमानी आ जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 द्वारा विक्रय पत्र की कार्यवाही के बाद उत्पन्न पेचिदगियों से ही तो उक्त वाद पत्र पेश किया गया है।

प्रकरण में निम्नांकित तनकी कायम की गईः–

तनकी संख्या 1 आया वादी वादपत्र के मद नं0 2 में अंकित विवादित आराजीयात वाके ग्राम ईटावा भोपजी तहसील चौमूं में मद नं0 3 के सजरा के आधार पर अनुतोष 10(क) की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

तनकी संख्या 2 आया वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

तनकी संख्या 3 आया रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्रों को शून्य एवं निरस्त करने का अधिकार न्यायालय हाजा को नही है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 4 आया वादी वादपत्र झूठे, मनगढन्त व बनवटी तथ्यों पर बदनीयती पूर्वक होने से खारिज योग्य है

जिम्मे प्रतिवादीगण

5. दादरसी

उपरोक्त तनकीयात का निम्नानुसार विनिश्चय किया गयाः–

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

वादी द्वारा साक्ष्य के शपथ पत्र बलबीर सिंह दत्तक पुत्र स्व0 श्री मुंगाराम जाखड, हरिनारायण पुत्र श्री विजयलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, एवं रणवीर सिंह पुत्र श्री किशन सिंह जाति जाट निवासी ग्राम ईटावा भोपजी तहसील चौमूं पेश किया गया तथा दस्तावेज प्रदर्श 1(खण्डन नोटिस अखबार की असल कोपी), प्रदर्श 2(पंच नामा गोद बाबत की असल कोपी), प्रदर्श 3(प्रमाण पत्र की असल कोपी), प्रदर्श 4(ट्रांसफर सर्टिफिकेट असल कॉपी) तथा प्रदर्श 5(बक्शीश नामा दिनांक 06.02.2009 प्रमाणित प्रतिलिपी) पेश किये है।

उक्त वाद पत्र के निस्तारण के लिए हमे तनकीवार निर्णय देना आवश्यक है तथा प्रत्येक तनकी को अलग अलग तथ्य से निर्णित किया जावेगा।

1. तनकी संख्या 1 :– यह कि उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर रहा है तथा वादी द्वारा अपने वाद पत्र में कथन किया है कि विवादग्रस्त आराजियात वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 के पूर्वज स्व0 मुंगाराम की पुश्तैनी खातेदारी भूमि रही है जिसमें वादी का स्व. मुगा के 3/8 हिस्सा का 1/12 भाग निहित रहा है, परन्तु वादी भूमि विवादग्रस्त सम्पूर्ण रुप से स्व. मुंगा के हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा नही रहा है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 जोकि वादी की बहिने है, जिन्हौने अपने हिस्से को वादी के हक में मौखिक रुप से त्याग कर दिया था, तथा वे अपने अपने ससुराल में कुशलतापूर्वक निवासी करती चली आ रही है। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा साक्ष्य के शपथ पत्र के रुप में श्री हरिनारायण पुत्र श्री विजयलाल कुमावत जाति कुमावत निवासी ग्राम ईटावा भोपजी तहसील चौमूं पेश किया जिसमें हरिनारायण पुत्र विजयलाल ने बयान किया कि वे भूमि विवादग्रस्त जो कि वादी व प्रतिवादीगण सख्या 3 ता 13 के पूर्वज स्व. मुंगाराम की पुश्तैनी खातेदारी भूमि रही है जिसमें वादी का स्व. मूंगा के हिस्सा 3/8 भाग में 1/2 भाग निहित है, परन्तु वादी भूमि विवादग्रस्त सम्पूर्ण रुप से स्व. मूंगा के हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 जो कि वादी की बहिने हैं, जिन्होने अपने हिस्से को वादी के हक में मौखिक रुप से त्याग कर दिया है तथा वे अपने–अपने ससुराल में कुशलतापूर्वक निवास करती आ रही है।

वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि वह स्व0 मूंगा पुत्र रामकुवार का दत्तक पुत्र है। यदि वादी वास्वव में स्व0 मूंगा का दत्तक पुत्र होता तो वादी द्वारा गोदनामा, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट आदि दस्तावेजात न्यायालय के समक्ष पेश किये जाते जो वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है। जो दस्तावेजात वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है उनसे यह साबित नहीं होता कि वादी स्व0 मूंगा का दत्तक पुत्र है। वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजात से भी यह साबित नहीं होता है कि वादी स्व0 मुंगा का दत्तक पुत्र है। उक्त तनकी साबित नहीं करने से तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार वादी पर था। तनकी संख्या 1 वादी के विरुद्ध होने के कारण वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का अधिकारी नहीं है। जिस कारण तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में साबित नहीं होती है।

तनकी संख्या 3 वादी द्वारा तनकी संख्या 1 साबित करने में असफल रहा है जिस कारण तनकी संख्या 3 को अलग से निर्णित किया जाना आवश्यक नहीं है। इसलिए तनकी संख्या 3 को अलग से निर्णित नहीं किया गया है।

तनकी संख्या 4 वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष न्यायालय अभिमत में दिया जाना उचित प्रतीत नहीं हुआ है। क्योंकि वादी को तनकी संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार दिया गया था, जिसे साबित करने में वादी पूर्णतः असफल रहा है। जिस कारण तनकी संख्या 4 को अलग से निर्णित किये जाने की न्यायालय मत में आवश्यकता नहीं है। इस तनकी संख्या 4 को अलग से निर्णित नहीं किया गया है।

न्यायालय का यह भी अभीमत है कि वादी स्व0 मूंगा का दत्तक पुत्र है या नहीं यह तथ्य निर्णित करने हेतु न्यायालय सक्षम भी नहीं है। वादी को सक्षम सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दत्तक की घोषणा करवानी चाहिये। नामांतकरण संख्या 668 जो कि दिनांक 05.08.2006 द्वारा खोला गया था उसकी भी आज दिनांक तक वादी द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में अपील नहीं की गही है।

अतः वादी द्वारा तनकी संख्या 1 व 2 साबित नहीं किये जाने के कारण वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से तैयार किया जावे, जो इस निर्णय का भाग रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूं

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2019.11.26 13:24:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: